

पत्रावली सं० 102/2019 सरकार बनाम 3170/1/31/3/2019

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
19-8-19	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>अनु</u> पुत्री श्री <u>अनिल कुमार</u> जाति <u>तामिरी</u> निवासी <u>उरुवा</u> में फसल <u>रबी/उरीक</u> सन्वत्/सन <u>2016</u> में गांव/चक नं० <u>उरुवा</u> के मु० नं० <u>126</u> में <u>1.644</u> बीघा सिंचित व <u>असिंचित कुल</u> बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित नहीं अतः इसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>4215/2017</u> गुणा पेनल्टी राशि रु० <u>205</u> अक्षरे रु० <u>1 लाख 25 हजार</u> अधिरोपित की जाती है।</p> <p>श्री अनिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को विलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की राशि काश्त कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p> <p style="text-align: right;">L तहसीलदार (राजस्व) राजसिंघनगर</p>	

